रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 2018/पौष 29, 1939
No. 37] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 2018/PAUSHA 29, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 46(अ).—यत: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) राज्यों में पर्यावरणीय गुणवत्ता के संरक्षण तथा निवारण और पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियत्रंण तथा उपशमन के उद्देश्य से एनसीआर राज्यों में पेटकोक की बिक्री तथा उपयोग के संबंध में उपाय किये जाने की आवश्यकता है;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित निदेश जारी करती है, अर्थात् :—

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के राज्यों में सीमेन्ट संयंत्र में पेटकोक की बिक्री और उपयोग:—

(1) एनसीआर राज्यों में कोई भी सीमेंट संयंत्र जिसमें ईंधन के रूप में पेटकोक का इस्तेमाल किया जाता है, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सम्मति प्राप्त किये बिना और उसके साथ रजिस्ट्रीकरण कराये बिना कार्य नहीं करेगा।

(2) संबद्ध राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गयी सम्मति में, प्रति माह और प्रति वर्ष उत्पादित उत्पादों की मात्रा की तुलना में प्रति माह और प्रति वर्ष ईंधनों की अनुमत्य मात्रा को स्पष्टत: रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) औद्योगिक इकाई को, इसकी तीन माह की खपत से अधिक पेटकोक का भंडारण करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

(4) एनसीआर राज्यों में पेटकोक के सभी उत्पादकों या परिष्करणियों, उनके प्राधिकृत व्यवहारियों तथा प्रयोक्ताओं का संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा।

(5) परिष्करणियां और उनके प्राधिकृत व्यवहारी एनसीआर राज्यों में संबंधित राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई सम्मति में अनुमत्य मात्रा के अनुसार केवल सम्मति-प्राप्त और रजिस्ट्रीकृत औद्योगिक इकाइयों को ही पेटकोक की बिक्री करेंगे।

(6) उत्पादकों और परिष्करणियों द्वारा पेटकोक की बिक्री अधिकतम दो चरणों से होगी, परिष्करणी से उद्योग या परिष्करणी से प्राधिकृत व्यवहारी से उद्योग।

(7) एनसीआर राज्यों की केवल सम्मति प्राप्त तथा रजिस्ट्रीकृत औद्योगिक इकाइयों को ही पेटकोक का सीधा आयात की अनुज्ञा दी जाएगी और परेषित माल प्रयोक्ता औद्योगिक इकाई के नाम से केवल उनके स्वयं के प्रयोग के लिए होगा।

(8) एनसीआर राज्यों में व्यापार के प्रयोजनों के लिए पेटकोक के आयात की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(9) उत्पादक या परिष्करणियां और उनके प्राधिकृत व्यवहारी माह के दौरान उत्पादित और अंतिम प्रयोक्ता औद्योगिक इकाइयों को बेचे गये पेटकोक और आरंभ और अंतिम स्टॉक का ब्यौरा त्रैमासिक आधार पर संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे।

(10) तेल परिष्करणियों सहित सभी अंतिम प्रयोक्ता मास के दौरान विभिन्न स्रोतों से खरीदे गये पेट कोक (स्व-उत्पादित, आयातित, परिष्करणियों या प्राधिकृत व्यवहारियों से खरीदे गये), मास के दौरान प्रयुक्त मात्रा, और आरंभ और अंतिम स्टाक का ब्यौरा त्रैमासिक आधार पर संबंधित राज्य प्रदूषण बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे।

(11) एनसीआर राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सम्मतियों, रजिस्ट्रीकरण, तेल परिष्करणियों द्वारा की गई बिक्रियों और औद्योगिक इकाइयों द्वारा की गई बिक्रियों के अभिलेख को अपलोड करने के लिए एक इलैक्ट्रोनिक अभिलेख प्रणाली को विकसित करेंगे और उक्त बोर्ड इस जानकारी को त्रैमासिक आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ शेयर करेंगे।

(12) एनसीआर राज्यों में स्थित औद्योगिक इकाइयां पेट कोक को केवल उत्पादकों या परिष्करणियों और उनके प्राधिकृत व्यवहारियों से प्राप्त (सोर्स) करेंगी और वे इन उत्पादों को किसी अन्य बिचौलिया स्रोत से प्राप्त नहीं करेंगी चाहे वे एनसीआर राज्यों से बाहर अवस्थित हों।

(13) एनसीआर से इतर राज्यों में उत्पादकों या परिष्करणियों तथा उनके प्राधिकृतिक व्यवहारियों को, जो एनसीआर राज्यों में प्रयोक्ता उद्योगों को बिक्री कर रहे हैं, उपर्युक्त निदेश (4) के अनुसार उन राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रजिस्ट्रीकरण कराना होगा, जहां अंतिम प्रयोक्ता रह रहे हैं और वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि बिक्रियां उपर्युक्त (5) और (6) में दिये गये निदेशों के अनुसार हों और वे उपर्युक्त निदेश (9) के अनुसार त्रैमासिक रिपोर्ट उस राज्य के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फाइल करेंगे, जहां अंतिम प्रयोक्ता रहते हैं।

2. अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. क्यू-16017/4/2018-सीपीए]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2018

G.S.R. 46(E).—Whereas with a view to protecting and improving the quality of environment and preventing, controlling and abating environmental pollution in the National Capital Region (NCR) States, there is a need to take measures relating to sale and use of pet coke in the NCR States;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby issues the following directions, namely :—

Sale and use of pet coke in Cement Plant in NCR States:—

(1) No cement plant consuming pet coke as a fuel shall operate in NCR States without obtaining the consent of and registration with the respective concerned State Pollution Control Board.

(2) Consent issued by the concerned State Pollution Control Board shall clearly specify the quantity of fuels permitted per month and per annum vis-à-vis products produced per month and per annum.

(3) Industrial unit shall not be permitted to store pet coke for more than its three months consumption.

(4) All producers or refineries, their authorised dealers and users of pet coke in NCR States, shall be registered with the concerned State Pollution Control Board.

(5) Refineries and their authorised dealers shall sell pet coke to only consented and registered industrial units in the NCR States according to the quantity permitted in the consent issued by the concerned State Pollution Control Board.

(6) Sale of pet coke by producers or refineries shall be in maximum two steps, from refinery-to-industry or from refinery-to-authorised dealer-to-industry.

(7) Only consented and registered industrial units of NCR States shall be permitted to directly import pet coke and consignment shall be in the name of user industrial units for their own use only.

(8) Import of pet coke for purposes of trading shall not be permitted in NCR States.

(9) Producers or refineries and their authorised dealers shall submit details of pet coke produced and sold to end user industrial units during the month, and opening and closing stock to the concerned State Pollution Control Board on quarterly basis.

(10) All end user industrial units, including oil refineries, shall submit details of pet coke purchased from different sources during the month (self-produced, imported, purchased from refineries or authorised dealers), quantity consumed during the month, and opening and closing stock to the concerned State Pollution Control Board on quarterly basis.

(11) The NCR States Pollution Control Boards shall develop an electronic record system for uploading of consents, registration, record of sales by oil refineries, and record of use by industrial units, as mentioned above and the said Boards shall share this data on a quarterly basis with the Central Pollution Control Board.

(12) Industrial units in NCR States shall source pet coke only from producers or refineries and their authorised dealers and they shall not source these products from any other intermediaries even when they are located outside the NCR States.

(13) For producers or refineries and their authorised dealers in non-NCR States who are making sales to user industries in NCR States, such producers or refineries shall have to be registered with State Pollution Control Board of the States where the end users reside in accordance with direction (4) above and they shall ensure that the sales are as per the directions (5) & (6) above and they shall file quarterly reports to the State Pollution Control Board of the State where the end users reside in accordance with direction (9) above.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. Q-16017/4/2018-CPA]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.01.19 22:30:24 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.